संख्याः 529/XIII-II/05(3)/2009

प्रेषक,

डा0 रणबीर सिंह,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बीज प्रमाणीकरण संस्था,
देहरादून।

कृषि एवं विपणन अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 24 दिसम्बर, 2009

विषयः उत्तराखण्ड बीज प्रमाणीकरण संस्था के नियमित कार्मिकों को छटे वेतन आयोग की संस्तुति के क्रम में पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1890 दिनांक 05.09.09 के क्रम में वित्त विभाग, के शासनादेश संख्या–395/XXVII(7)/2008, दिनांक 17 अक्टूबर, 2008, तथा तत्क्रम में निर्गत शासनादेश/स्पष्टीकरण एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग के पत्र सं0–1453/VII-I-09/233–उद्योग/2008 दिनांक 01.09.09 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड बीज प्रमाणीकरण संस्था में नियमित रूप से तैनात कार्मिकों को छठे वेतन आयोग की संस्तुति के क्रम में उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 17.10.08 के संलग्नक–01 के कॉलम–02 में दिनांक 01.01.06 के पूर्व में इंगित वेतनमान को कालॅम–4 मे इंगित वेतनमान तथा कालॅम–5 में इंगित ग्रेड पे फिटमेन्ट टेबल के अनुसार दिनांक 01.01.06 से पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1. दिनांक 01.01.06 से दिनांक 31.07.09 तक के एरियर का भुगतान इस प्रतिबन्ध के अधीन होगा कि समस्त एरियर का भुगतान समानुपातिक आधार पर कम से कम तीन वर्ष में विभाजित किया जाएगा।

2. वित्तीय स्थिति ठीक न होने पर एरियर के भुगतान हेतु प्रथमतः वित्तीय प्रबन्ध को सुदृढ करते हुये न्यूनतम 3 वर्ष से अधिक समय में भुगतान किये जाने की कार्ययोजना बनायी जाएगी।

3. दिनांक 01.08.09 से उक्त पुनरीक्षित वेतनमान का नकद भुगतान किया जाएगा। इस हेतु अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार सम्बन्धित निगम द्वारा विचार किया जाएगा, तथा इसके लिए किसी भी स्वरूप में राज्य सरकार से कोई वित्तीय सहायता अनुमन्य नहीं होगी।

PSAC(MW) fna 24/12/09

4. वि0वि0 शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 के साथ संलग्न फिटमेन्ट तालिका के आधार यदि राजकीय कर्मचारियों के समान वेतनमान प्राप्त हो रहे है तब उक्त फिटमेन्ट तालिका के आधार पर प्रतिस्थापित वेतनमान अनुमन्य होंगे। वि0वि0 के शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 के क्रम में निर्गत शासनादेश/स्पष्टीकरण के आधार पर यदि निगमों में पूर्व से भत्ते आदि राजकीय कार्मिकों के समान अनुमन्य किये जा रहे थे तब उसी प्रकार जिस तरह के राजकीय कर्मचारियों को अन्य भत्ते आदि नये वेतनमान के आधार पर मिल रहे है के समान उसी तिथि से अनुमन्य होंगे जिस तिथि से राज्य कार्मिकों को अनुमन्य हुये है।

5. दिनांक 01.01.06 या इसके बाद यदि संस्था के द्वारा शासन की सहमति के बिना वेतनमान उच्चीकृत अथवा समयमान वेतन की सुविधा अनुमन्य की गई है तब मात्र मूल पद के वेतनमान का प्रतिस्थापित वेतनमान ही अनुमन्य होगा।

6. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 2413/F7/XXVII(7)/2009 दिनांक 23 दिसम्बर, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नः—यथोपरि।

भवदीय,

(डा0 रणबीर सिंह)
सचिव

संख्याः 5296/XIII-II/05(3)/2009

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. निदेशक, बीज प्रमाणीकरण संस्था, देहरादून, उत्तराखण्ड।
5. निजी सचिव, कृषि मंत्री, उत्तराखण्ड।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. वित्त (वे0आ0—सा0नि0) अनु0—7 वित्त (व्यय नियंत्रक) अनु0—4 ।
8. गार्ड फाईल।
9. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
उप सचिव